भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2728

(दिनांक 10.07.2019 को उत्तर के लिए)

भ्रष्टाचाररोधी ब्यूरो को सीबीआई द्वारा भेजे गए मामले

2728. श्री हनुमान बैंनिवालः
क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीबीआई द्वारा प्राप्त विभिन्न शिकायतों/मामलों को संबंधित राज्यों के भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो को भेजा जाता है/अग्रेषित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2013 से 1 मई, 2019 तक सीबीआई द्वारा संबंधित राज्यों को कितनी शिकायतें भेजी गई हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह

(क) और (ख): जी हां। दिनांक 1 जनवरी, 2013 से 1 मई 2019 तक सीबीआई ने संबंधित राज्यों के भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो/ भ्रष्टाचार-रोधी प्रभाग/भ्रष्टाचार-रोधी संगठन को 7139 अपंजीकृत शिकायतें भेजी हैं। सीबीआई द्वारा संबंधित राज्यों के भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो/ भ्रष्टाचार-रोधी प्रभाग/भ्रष्टाचार-रोधी संगठन को भेजी गई 7139 शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है।

राज्यों के भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो/प्रभाग/संगठन को भेजी गई अपंजीकृत शिकायतों की वर्ष-वार संख्या

वर्ष	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	कुल
सीबीआई द्वारा राज्यों के भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो/ भ्रष्टाचार-रोधी प्रभाग/भ्रष्टाचार-रोधी संगठन को भेजी गई शिकायतों की संख्या	1116	895	924	958	1458	1376	412	7139